न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 72 / 2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी		श्रीमति शान्तिदेवी पत्नि भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी आजियाना तहसील सिवाना व जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित–1. पैरोकार सरकार,नायब तहसीलदार समदडी प्रार्थी की ओर से।

2. एकतरफा–विप्रार्थी

आदेश

दिनांक– 16.8.19

1.संक्षेप में आवेदन के सुसगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोड्राईजेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लट्ठा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदडी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 176 खसरा संख्या 273 / 130 रकबा 22–15 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

राजस्व नक्शें लटढा में खसरा संख्या 130/18 दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लटढा नक्शें में एकरूपता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा लटढा नक्शे में दर्ज खसरा संख्या 130/18 के स्थान पर जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 273/130 दुरूस्ती करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। और विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामीली श्रेणी में प्राप्त हुआ। विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। .

3.प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोर्डनाईजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 176 खसरा संख्या 273/130 रकबा 22–15 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटढा में खसरा संख्या 273/130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/18 दर्ज है। जो अशुद्ध दर्ज हो रखा है,जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा लटढा में एकरूपता नहीं है। इस कारण नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/18 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 273/130 दर्ज किया जावें। रिकार्ड दुरूस्ती [illegible] मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रार्थी का आवेदन [illegible] किया जाकर विवादित भूमि के नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/18 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 273/130 दर्ज करने का आदेश फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

... सुनवाई कर खातेदारी के ख.न. संलग्न
रिपोर्ट एवं नक्शानुसार दुरस्त करने का आदेश प्रदान फरमावे।

4. हमनें प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका जांच रिर्पोट का अवलोकन किया और विधि के परिपेक्ष में तथ्यो पर विवेचन किया। तहसीलदार समदडी की रिर्पोट के अनुसार ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 273/130 रकबा 22–15 बीघा किस्म रैतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। जबकि उक्त भूमि के नक्शा लटठा में खसरा संख्या 273/130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/18 अंकित है। इस प्रकार उक्त भूमि के जमाबंदी एवं लटढा नक्शा में एक समान खसरा संख्या दर्ज नही है। और राजस्व रिकार्ड में एकरूपता भी नहीं है। एवं हितबद्व काश्तकार के राजस्व रिकार्ड में एकरूपता होना भी जरूरी है। ताकि राजस्व रिकार्ड में एकरूपता बनी रहे। इस कारण उक्त भूमि के नक्शा लटढा में अंकित खसरा संख्या 130/18 विलोपित करते हुए जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 273/130 नक्शा लटठा में दर्ज किया जाना न्यायोचित 'प्रतीत होता है.एवं ऐसा किये जाने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एवं तहसीलदार समदडी में भी नक्शा लटठा में दुरस्ती किये जाने की अभिशंषा की गई है। विप्रार्थी बावजुद सूचना के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है। कि उक्त विप्रार्थी को भी प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जानें की मौन स्वीकृति है। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है,कि आवेदित खसरा के नक्शा लटढा में खसरा संख्या 273/130 दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

5.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन राज्यहित की भावना को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण पटवार क्षेत्र सावरड़ा तहसील समदडी के नक्शा [illegible] ार्ड लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/18 विलोपित करते हुए [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

[illegible] खातेदारी के ख.न. संलग्न

(जमाबंदी) में अंकित खसरा संख्या 273/130 नक्शा लटढा में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रामदडी को आदेशित किया जाता हैं,कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड (नक्शा लटढा) में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार समदड़ी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 16.08.15 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.11 15:53:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: